न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत अलोद

वाद संख्या:– 51/प्रा0पत्र/2016

1. राजस्थान राज्य पेरोकार सरकार (तहसीलदार हिण्डोली), जिला–बून्दी (राज0)।

प्रार्थी

बनाम

1. घनश्याम पिता कजोड जाति खटीक निवासी अलोद, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)।
2. लटूर पिता कजोड जाति खटीक निवासी अलोद, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)।
3. गंजानंद पिता कजोड जाति खटीक निवासी अलोद, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)।
4. ओमप्रकाश पिता कजोड जाति खटीक निवासी अलोद, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)।
5. लक्ष्मीनारायण पिता कजोड जाति खटीक निवासी अलोद, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)।
6. छोटी बेवा कजोड जाति खटीक निवासी अलोद, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)।
7. कल्याण पिता नाथू जाति खटीक निवासी अलोद, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 17 ए राज0 उपनिवेशन
(लघु एवं मध्यम सिंचाई परि0 क्षेत्र में भूमि आंवटन), नियम 1968

निर्णय दिनांक :– 06/10/2021

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि श्री घनश्याम, लटूर, गंजानंद, ओमप्रकाश, लक्ष्मीनारायण पिता कजोड, मु0 छोटी बेवा कजोड हिस्सा 1/2, कल्याण पिता

हिस्सा 1/2 जाति खटीक निवासी अलोद को वाके ग्राम कालाभाटा में दिनांक 22.11.1975 को खसरा नम्बर 2024 रकबा 2.12 बीघा भूमि आंवटन की गई थी। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में आंवटी/वारिसान के नाम गैर खातेदारी/लिजदारी में दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के उक्त भूमि पर आंवटी/वारिसान का कब्जा काश्त नही है। भूमि की किश्त मय ब्याज जमा नही की है। आंवटन शर्तो का उल्लघंन हुआ है। अतः आंवटन निरस्त करने हेतु प्रकरण अन्तर्गत नियम 17 ए राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आंवटन) नियम 1968 के तहत प्रकरण तैयार कर भिजवाया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण आज दिनांक तक न्यायालय में अनुपस्थित रहे है। आज दौराने केम्प न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे है। दौराने केम्प बार–बार आवाज दिलवाई गई। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाकर बहस प्रार्थी सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध पूर्व में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 04.07.2017 व 08.05.2018 एवं आज दौराने कैम्प तहसीलदार हिण्डोली द्वारा अपने पत्र क्रमांक :– राजस्व/2021/21 दिनांक 06.10.2021 से भी भू–अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का अलोद द्वारा उक्त भूमि पर गैर खातेदारान का कब्जा काश्त नही होकर भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त होना अंकित किया है।

प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण का उनके पूर्वज को आंवटित भूमि जो कि वर्तमान में उनकी गैर खातेदारी में दर्ज है, पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है। उक्त भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त है। जिससे आंवटन शर्तो का उल्लघंन किया जाना प्रमाणित है। उक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा संख्या 2024 रकबा 2.12 बीघा वाके ग्राम कालाभाटा का आंवटन जो कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है, का दिनांक 22.11.1975 का आंवटन निरस्त किया जाता है एवं भूमि को सिवायचक दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है। नायब तहसीलदार दबलाना को निर्णय की पालना हेतु तहर्रीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत अलोद में सरेआम सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली